Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में नगर निगम हैरिटेज का पार्षद, प्रवर्तन शाखा का उपनिरीक्षक एवं कानिस्टेबल 80 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 नवम्बर, शनिवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33, नगर निगम हैरिटेज, अनिल सिंह उपनिरीक्षक एवं भवानी सिंह कानिस्टेबल प्रवर्तन शाखा नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को परिवादी से **80 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके निर्माणाधीन मकान का कार्य निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33, नगर निगम हैरिटेज, अनिल सिंह उपनिरीक्षक एवं भवानी सिंह कानिस्टेबल प्रवर्तन शाखा नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सत्यवीर सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह निवासी गांव केसरी, तहसील महवा, पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा हाल निवासी मकान नं0 बी–5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला, जयपुर हाल कानिस्टेबल प्रवर्तन शाखा नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को परिवादी से **80 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी 2–उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी मकान नं0 सी–30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं0 33, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर एवं 3–अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी मकान नं0 बी–102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा, निवारू रोड़, जयपुर हाल उपनिरीक्षक प्रवर्तन शाखा नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को भी प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।